अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 09 / 2013.

श्री भीष्म प्रसाद यादव

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा0 मढ़ौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेषी, तारीख सहित
25/02/2014	प्रस्तुत वाद आपूर्ति अपील संख्या 09/2013 श्री भीष्म प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत अवारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 40 दिनांक 07.01.2013 के विरूद्ध दाखिल है। अनुज्ञापन पदाधिकारी का उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना के MJC No 4573/12 में दिनांक 12.12.2012 को पारित आदेश के आलोक में पारित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि अंचल अधिकारी –सह– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 20 दिनांक 21.01.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 21.01.2011 को पूर्वाह्न 10:50 बजे उक्त विक्रेता की दूकान का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) विक्रेता के द्वारा माह दिसम्बर हेतु 7.35 क्वीन्टल चावल दिनांक 04.01.2011 को तथा 4.90 क्वीन्टल गेहूँ का उठाव दिनांक 13.01.2011 को किया गया है, परंतु इनके वितरण का फर्जी प्रमाण तैयार किया गया है जो निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होता है– (क) एक ही कूपन संख्या पर कई उपभोक्ताओं का नाम दिखाया गया है। (ख) कूपन संख्या 332297 (बी0पी0एल0) दिसम्बर माह में पतासो कुंवर के नाम से दिखाया गया है जबकि जून माह में यह कूपन राजगोविन्द रावत एवं पतासो कुंवर दोनों के सामने अंकित किया गया है। (ग) अगस्त माह में राम गोविन्द रावत के नाम के सामने कूपन संख्या 332294 (बी0पी0एल0) दिखाया गया है। (घ) उक्त विक्रेता के द्वारा मात्र 45 कूपन (बी0पी0एल0) खाद्यान्न का	

जमा किया गया, जबकि वितरण पंजी के अनुसार इनके द्वारा 49 कूपन समर्पित किया जाना चाहिए था।

उक्त अनियमितताओं के लिए उक्त विक्रेता के विरूद्ध स्थानीय मढ़ौरा थाना में कांड संख्या 09/11 दिनांक 21.01.2011 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई एवं विक्रेता की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

श्री भीष्म प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अवारी, अनुज्ञप्ति संख्या 96/2007 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No 18366/11 दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 05.04.2012 को आदेश पारित किया गया–

"The SDO, Marhaura, District Saran should take steps on the administrative side and not allow the order of suspension to continue on ad hoc basis for an undefined period of time."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उक्त विक्रेता से दिनांक 21.01.2011 को किए गए निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के लिए कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब दिनांक 13.06.2012 को प्रस्तु किया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया एव अपने निलंबन आदेश को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मार्ग दर्शन प्राप्त होने तक यथावत रखा।

उक्त विक्रेता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल MJC No 4573/12 में दिनांक 12.12.2012 को आदेश पारित किया गया– "The direction simply worded was to examine on the administrative side as to whether the petitioner's licence should be cancelled or not, taking into consideration the nature of anomalies committed by the petitioner. The SDO, Marhaura, Saran should clarify the position and pass a fresh order within a period of two weeks."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की निलंबित अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

उक्त विक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि मढ़ौरा थाना कांड सं0 9/11 से संबंधित Trial No 1607/13 में दिनांक 21.02.2013 को माननीय अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा के द्वारा आदेश पारित किया गया– "----------The accused Bhisham Pd Yadav is found and held not guilty to the charged offence under section 7/9 of the EC

Act and he is acquitted thereunder in absence of evidence giving benefit of doubt. He is on bail, so he is discharged from the liabilities of their bail bonds."

विक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी को आपराधिक वाद के सक्षम न्यायालय के द्वारा निष्पादन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं किया गया एवं उक्त विक्रेता के पक्ष को बिना सुने हुए एवं उनके कागजातों की सम्यक समीक्षा किए बिना ही उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। उक्त विक्रेता पिछले काफी समय से जन वितरण प्रणाली की दूकान चला रहा है, लेकिन बार–बार किए गए जांच के बाद भी न तो किसी जांच पदाधिकारी के द्वारा उसके पंजी/कागजातों के संधारण में ही कोई अनियमितता पाई गई और न ही किसी उपभोक्ता के द्वारा ही उक्त विक्रेता के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज की गई।

विक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पंजी में अंकित एक कूपन के सामने अंकित दो व्यक्तियों के नाम के संबंध में बताया गया कि यह विक्रेता के द्वारा जान बूझकर नहीं किया गया है बल्कि इसे मानवीय भूल माना जाना चाहिए।

विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि उक्त विक्रेता के द्वारा मुखिया एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है एवं उनका हस्ताक्षर अपनी पंजी पर अंकित कराया जाता है।

विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय दिशा–निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त निर्देशों के आलोक में उक्त विक्रेता की अनुज्ञप्ति को सर्वप्रथम निलंबित एवं बाद में रद्द कर दिया गया। इसलिए अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश को बहाल रखते हुए विक्रेता के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि माननीय अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा मढ़ौरा थाना कांड संख्या 9/11 से संबंधित Trial No 1607/13 में श्री भीष्म प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत अवारी, अनुज्ञप्ति संख्या 96/2007 को साक्ष्य के अभाव में दोषी न पाते हुए आरोपमुक्त कर दिया गया है।

उक्त विक्रेता की पंजी पर संबंधित मुखिया एवं ग्रामिणों का हस्ताक्षर अंकित पाया गया, जिनकी उपस्थिति में उसके द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता था। मढ़ौरा अनुमंडल में पूर्व में किए जाने वाले किसी

जांच में किसी भी जांच दल के पदाधिकारी के द्वारा उक्त विक्रेता के विरूद्ध कोई कागजात अभिलेख में संधारित नहीं पाया गया और न ही ऐसी किसी शिकायत की प्रविष्टि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 40 दिनांक 07.01.2013) में ही है। विक्रेता के विरूद्ध उससे संबद्ध किसी उपभोक्ता की शिकायंत या शपथ पत्र भी अभिलेख में संधारित नहीं है।

जहाँ तक वितरण पंजी में एक कूपन संख्या के सामने दो उपभोक्ताओं का नाम लिखे जाने का प्रश्न है, उक्त विक्रेता के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भूलवश ऐसा किए जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए मैं अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा –सह– अनुज्ञापान पदाधिकारी के प्रासंगिक आदेश (ज्ञापांक 40 दिनांक 07.01.2013) को निरस्त करता हूँ एवं अपीलकर्त्ता श्री भीष्म प्रसाद यादव, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत अवारी के अपील के आवेदन को स्वीकृत करता हूँ। विक्रेता को चेतावनी भी निर्गत की जाए, कि भविष्य में वे अपने भंडार पंजी एवं वितरण पंजी के संधारण में पूरी सतर्कता बरतें एवं इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की पुनरावृति किसी भी परिस्थिति में न की जाए। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 94/न्यायालय दिनांक 21/3/14

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा/NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक ~~पत्र~~ कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
20/3/14